न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
14/06/2023	2023/372	26.07.2023	22.01.2026

1. गोविन्द सहाय पुत्र श्री गिरधारी लाल जाति जांगडा ब्राहमण उम्र करीब 78 साल निवासी ग्राम बहादरपुर तहसील व जिला अलवर राज.।
2. मुरारीलाल पुत्र श्री गिरधारी लाल जाति जांगडा ब्राहमण उम्र करीब 73 साल निवासी ग्राम बहादरपुर तहसील व जिला अलवर राज. (मृतक)
   2/1—श्रीमती कान्ता देवी धर्मपत्नि स्व. श्री मुरारीलाल जाति जांगडा ब्राहमण उम्र करीब 58 साल निवासी ग्राम बहादपुर तहसील व जिला अलवर राज.
   2/2—दीपक कुमार पुत्र स्व. श्री मुरारीलाल जाति जांगडा ब्राहमण उम्र करीब 38 साल निवासी ग्राम बहादपुर तहसील व जिला अलवर राज.
   2/3—अशोक कुमार स्व. श्री मुरारीलाल जाति जांगडा ब्राहमण उम्र करीब 28 साल निवासी ग्राम बहादपुर तहसील व जिला अलवर राज.
   2/4—संतोष कुमार स्व. श्री मुरारीलाल जाति जांगडा ब्राहमण उम्र करीब 30 साल निवासी ग्राम बहादपुर तहसील व जिला अलवर राज.
   2/5—अजय कुमार स्व. श्री मुरारीलाल जाति जांगडा ब्राहमण उम्र करीब 26 साल निवासी ग्राम बहादपुर तहसील व जिला अलवर राज.
   2/6—श्रीमती सुमनलता पुत्री स्व. श्री मुरारीलाल धर्मपत्नि श्री नरेश कुमार उम्र करीब 24 साल जाति जांगडा ब्राहमण निवासी फ्लैट नम्बर 109, आदिनाथ मार्ग, इस्कोन मन्दिर के पास कृष्णा सरोवर मानसरोवर जयपुर राज.
3. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री गिरधारी लाल जाति जांगडा ब्राहमण उम्र करीब 58 साल निवासी ग्राम बहादरपुर तहसील व जिला अलवर राज.।

—अपीलान्टस

बनाम

1. डालचन्द पुत्र श्री रामगोपाल जाति जांगडा ब्राहमण निवासी ग्राम बहादरपुर तहसील व जिला अलवर राज.।
2. रामजीलाल पुत्र श्री बुद्धा जाति जांगडा ब्राहमण निवासी ग्राम बहादरपुर तहसील व जिला अलवर राज.।
3. साधूराम पुत्र श्री बुद्धा जाति जांगडा ब्राहमण निवासी ग्राम बहादरपुर तहसील व जिला अलवर राज.।
4. तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर अलवर तहसील व जिला अलवर राज.।

—असल रेस्पोडेन्टस

5. श्रीमति कौशल्या देवी उर्फ बिमला पुत्री श्री गिरधारी लाल धर्मपत्नि बाबूलाल जाति जांगडा ब्राहमण निवासी झोटवाडा जयपुर जिला जयपुर राज.।
6. निर्मला देवी पुत्री श्री गिरधारी लाल धर्मपत्नि राधेश्याम जाति जागंडा ब्राहमण निवासी त्रिवेणी नगर गोपालपुरा बाई पास जयपुर जिला जयपुर राज.।
7. ममता देवी धर्मपत्नि श्री पुरोषत्तम जाति जांगडा ब्राहमण निवासी ग्राम बहादरपुर तहसील व जिला अलवर राज.।
8. भगवत प्रसाद पुत्र श्री पुरूषोत्तम जाति जांगडा ब्राहमण निवासी ग्राम बहादरपुर तहसील व जिला अलवर राज.।
9. राजेश कुमार पुत्र श्री पुरूषोत्तम जाति जांगडा ब्राहमण निवासी ग्राम बहादरपुर तहसील व जिला अलवर हाल निवासी खण्डेलवाल नगर कानोता, तहसील बस्सी जिला जयपुर राज.।
10. शान्ति देवी पुत्री श्री पुरुषोत्तम धर्मपत्नि निर्मल कुमार जाति जांगडा ब्राहमण निवासी ग्राम नौगांवा तहसील रामगढ जिला अलवर राज।
11. संजय बाई पुत्री श्री पुरूषोत्तम धर्मपत्नि नारायण जाति जागंडा ब्राहमण निवासी कानोता जयपुर जिला जयपुर राज.।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

12.मदन लाल पुत्र श्री रामगोपाल जाति जांगडा ब्राहमण निवासी ग्राम बहादरपुर तहसील व जिला अलवर राज. हाल निवासी 59, बैकुण्ठ नगर, एस. एन. कॉलेज के सामने, खण्डवा तहसील व जिला खण्डवा मध्यप्रदेश।

—तरतीबी रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 20.01.1992 व 16.05.2013 तहसीलदार अलवर।

उपस्थित:—

1. श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता, राहुल कुमार गुप्ता — अधिवक्ता अपीलान्ट्स
2. श्री पंकज कुमार शर्मा, उदयसिंह जादौन — अधिवक्ता असल रेस्पोडेन्टस सं 02
3. श्री पुष्कर राज मुखीजा, कुलदीपचन्द सैनी — अधिवक्ता असल रेस्पोडेन्ट

::निर्णय::—

हस्तगत अपील, अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर, अलवर के निर्णय दिनांक 20.01.1992, जिसके अनुसरण में जारी सनद पट्टा दिनांक 24.01.1992 एवं रिमाण्ड पश्चात पारित निर्णय दिनांक 16.05.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। विवादित आराजी ग्राम बहादरपुर पट्टी कटला स्थित खसरा नं. 230 (पुराना) रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा है, जो वर्तमान बंदोबस्त में खसरा नं. 506 रकबा 0.89 हैक्टेयर के रूप में दर्ज है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया।

वकील अपीलाण्ट्स द्वारा दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि असल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 डालचन्द पुत्र रामगोपाल ने दिनांक 30/09/1991 को तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर अलवर के एक प्रार्थना पत्र गैर खातेदारी का सनद पट्टा निकालने के सम्बन्ध मे प्रस्तुत किया और निवेदन किया कि मैं ग्राम बहादरपुर जिला अलवर में पट्टी कटला मे आराजी खसरा नम्बर हाल 230 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा व साबिक खसरा नम्बर 138 रकबा 03 बिस्वा, 139 रकबा 08 बिस्वा, 142 रकबा 02 बीघा 19 बिस्वा का मेरे मृतक पिताजी श्री रामगोपाल पुत्र शयोलाल शर्मा निवासी बहादरपुर गैरखातेदार तहत कस्टोडियन पट्टेदार थे। अब मै उनका उक्त आराजी पर एकमात्र वारिसान व काबिज काश्तकार हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि उक्त आराजी की गैर खातेदारी की कीमत वगैरा जमा कराकर मेरे नाम सनद पट्टा जारी करने की कृपा करे। जिस पर तहसीलदार कम मैनजिंग ऑफिसर अलवर ने पटवारी हल्का से रिकोर्ड व मौके की रिपोर्ट तलब की। जिसमे पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी डालचन्द व रामगोपाल पुत्र शयोलाल खाती साकिन बहादरपुर आराजी हाल खसरा नम्बर 230 रकाब 03 बीघा 10 बिस्वा जिसके साबिक खसरा नम्बर 142 मिन रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2013 सन् 1957 का लोकल पट्टेदार है। रामगोपाल पट्टेदार फौत हो चुका है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2013 व नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2013 लागायत 2019 व नकल मिलान क्षेत्रफल शामिल पत्रावली है। प्रार्थी डालचन्द पुत्र रामगोपाल आराजी खसरा नम्बर 230 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा हाल साबिक खसरा नम्बर 142 मिन रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा पर बदस्तुर काबिज रहकर काश्त कर रहा। प्रार्थीगण चार भाई है। मुताबिक रिकोर्ड गिरधारीलाल, पुरुषोत्तम, डालचन्द, मदनलाल पुत्रान रामगोपाल नकल पासबुक शामिल पत्रावली है। मौके पर प्रार्थी डालचन्द काबिज है। तीन भाईयो की पट्टा दिये जाने में पूरी सहमति है।

हाल रिकोर्ड जमाबन्दी मे आराजी खसरा नम्बर 230 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा मु० चन्दरी बेवा बुधाखाती के नाम इंतकाल संख्या 26 दुरुस्ती सहायक कलैक्टर साहब दिनांक 28/03/1970 के हुआ। जिसमे खसरा नम्बर 230 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा नही चढाया गया, क्योकि मौके पर कब्जा नही था। अन्य नम्बरान का इन्तकाल स्वीकार हुआ है। लेकिन मु० चन्दरी बेवा ने गुमराह कर ओर इंतकाल अपने हक मे चढवाया है और खसरा नम्बर 230 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा को अलग करवाया तभी से इन्द्राज हाल रिकोर्ड मे है। मौके पर कब्जा व पट्टे मे नाम कोई नही है। अतः प्रार्थी डालचन्द को पट्टा दिया जाना उचित है। पटवारी हल्का की दिनांक

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

04/10/1991 की रिपोर्ट के आधार पर अकेले डालचन्द के नाम दिनांक 20/01/1992 को खातेदारी सनद जारी किये जाने के आदेश सादिर फरमा दिये गये। जिसके आधार पर दिनांक 24/01/1992 को सनद पट्टा जारी किया गया है। जिस आदेश के विरूद्ध अपील चन्दरी बेवा बुद्धा द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर कम सैटिलमेन्ट कमीशनर अलवर के न्यायालय मे प्रस्तुत की गई, जो अपील बअनुवान चन्दरी बेवा बुद्धा, रामजीलाल वगैरा बनाम डालचन्द वगैरा की गई। जिस अपील को दिनांक 03/05/2000 को अपील अपीलाण्ट्स अस्वीकार की गई। न्यायालय जिला कलक्टर कम सैटिलमेन्ट कमीशनर के निर्णय दिनांक 03/05/2000 के विरूद्ध अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के न्यायालय मे दायर की गई, जो बअनुवान रामजीलाल वगैरा बनाम डालचन्द वगैरा दायर की गई, जो दिनांक 30/04/2008 को अपील अपीलान्टस स्वीकार की गई। तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर अलवर का आदेश दिनांक 20/01/1992 व कलक्टर कम सैटिलमेन्ट कमीशनर अलवर का आदेश दिनांक 03/05/2000 निरस्त कर दिया गया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दोनो पक्षो को सुनकर पुनः निर्णय पारित करे। जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर अलवर के द्वारा दिनांक 16/05/2013 को निर्णय पारित कर दिया गया और पूर्व निर्णय दिनांक 20/01/1992 को बहाल रखा गया। जिसके आधार पर दिनांक 24/01/1992 को खातेदारी का सनद पट्टा जारी किया गया। जिस निर्णय दिनांक 20/01/1992 व खातेदारी का सनद पट्टा दिनांक 24/01/1992 व निर्णय दिनांक 16/05/2013 से व्यथित होकर यह अपील अपीलान्टस निम्न वजूहात के साथ प्रस्तुत की जा रही है:-

तहत अदालत तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर का निर्णय दिनांक 20/01/1992 व खातेदारी का सनद पट्टा दिनांक 24/01/1992 व निर्णय दिनांक 16/05/2013 का होने के कारण दफा 05 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अल्हदा से प्रस्तुत है। अपीलान्टस व तरतीबी रेस्पोडेन्ट एक ही परिवार व खानदान के व्यक्ति है, जो स्वर्गीय श्री रामगोपाल पुत्र शयोलाल के वंशज है। जिनके खानदान का सजरा निम्न प्रकार है:-

रामगोपाल

गिरधारीलाल (फौत) | पुरूषोत्तम (फौत) | डालचन्द (अ.रे.सं.1) | मदनलाल (त.रे.सं. 12)

दीवली देवी पत्नी (फौत) | गोविन्दसहाय अपी.सं. 1 | मुरारीलाल अपी. सं. 2 | राजेन्द्रकुमार अपी. सं. 3 | कौशल्यादेवी तर.रे.सं. 5 | निर्मला देवी तर.रे.सं.6

ममता देवी पत्नी त.रे.सं.7 | भगवत प्रसाद त.रे.सं.8 | राजेश कुमार त.रे.सं.9 | शान्ति देवी त.रे.सं.10 | संजय बाई त.रे.सं. 11

अपीलान्ट असल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 05 लागायत 12 रामगोपाल के वंशज है, जो कि उपरोक्त सजरे से प्रमाणित है। विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 138 मिन रकबा 03 बिस्वा, 139 मिन रकबा 08 बिस्वा, 142 मिन रकबा 02 बीघा 19 बिस्वा जिसकी आराजी खसरा नं 230 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा, जिसके बन्दोबस्त सम्वत् 2051 मे आराजी हाल खसरा नम्बर 506 रकबा 0.89 हैक्टर वाके ग्राम बहादरपुर पट्टी कटला कायम हुए है, जो आराजी रामगोपाल की विरासत से प्राप्त हुई है। जिसमे अपीलान्टस, असल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 05 लागायत 12 का जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है। रामगोपाल के चार लडके गिरधारीलाल, पुरूषोत्तम, डालचन्द व मदनलाल है। जिनमे से गिरधारीलाल, पुरूषोत्तम का स्वर्गवास

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

हो चुका है तथा डालचन्द व मदनलाल जीवित है। जिनमे से अपीलान्टस व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 05 व 06 गिरधारीलाल के वारिसान है, तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 07 लागायत 11 पुरूषोत्तम के वारिसान है, असल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 डालचन्द तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 12 मदनलाल है। इस प्रकार रामगोपाल के वंशज होने के कारण उपरोक्त विवादित आराजीयात मे अपीलान्टस व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 05 व 06 गिरधारीलाल के उत्तराधिकार का 1/4 हिस्सा, आदेश प्रतिवादी संख्या 07 से 11 पुरूषोत्तम के वारिसान का 1/4 हिस्सा, असल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 डालचन्द का 1/4 हिस्सा तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 12 मदनलाल का 1/4 हिस्सा है। इस प्रकार रामगोपाल के सभी वंशज उपरोक्त विवादित आराजीयात पर अपने अपने हिस्से पर काबिज रहकर शामलात मे काबिज रहकर काश्त कर रहे है और विवादित आराजी मे बोरिंग किया हुआ है। जिसमे विद्युत कनैक्शन अपीलान्ट के पिता व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 05 व 06 के पिता गिरधारीलाल के नाम से है और इसी बोरिंग से उक्त विवादित आराजी व अन्य आराजीयात की आबपाशी होती है और रामगोपाल का विरासत नामान्तरण भी गिरधारीलाल, पुरूषोत्तम, डालचन्द व मदनलाल के नाम दर्ज होकर स्वीकृत हुआ है। असल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर अलवर से मिल्लत करके बाला बाला मे अपने नाम खातेदारी दिनांक 20/01/1992 व खातेदारी का सनद पट्टा दिनांक 24/01/1992 व निर्णय दिनांक 16/05/2013 पारित करवा लिया। इस प्रकार विवादित आराजी मे अपीलान्टस व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 05 लागायत 12 कर हक व हिस्सा मारने की गर्ज से स्वयं के अकेले के नाम पर खातेदारी का सनद पट्टा जारी करवाया है। जिस कारण अपीलान्टस व तरतीबी रेस्पोडेन्टस खातेदारी दिनांक 20/01/1992 व खातेदारी का सनद पट्टा दिनांक 24/01/1992 व निर्णय दिनांक 16/05/2013 से व्यथित पक्षकार है। जिस कारण अपील प्रस्तुत करने की इजाजत हेतु प्रार्थना पत्र दफा 96 जाप्ता दीवानी का अल्हदा से प्रस्तुत है।

अपीलान्टस को अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर अलवर खातेदारी दिनांक 20/01/1992 व खातेदारी का सनद पट्टा दिनांक 24/01/1992 व निर्णय दिनांक 16/05/2013 में पक्षकार मुकदमा नही होने के कारण पूर्व मे जानकारी नही रही है और असल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 डालचन्द दिनांक 11/01/2023 को विवादित आराजी पर आया और कहा कि उपरोक्त विवादित आराजी शालिम का खातेदारी दिनांक 20/01/1992 व खातेदारी का सनद पट्टा दिनांक 24/01/1992 व निर्णय दिनांक 16/05/2013 मेरे हक में हो गया है और अब मै तुम सभी को बेदखल कर विवादित आराजी पर जबरन कब्जा कर आराजी को रहन, बैय, मुन्तकिल करके रहूँगा और उसने जाहिर किया कि जिला कलक्टर अलवर के न्यायालय मे अपील चल रही है। जिसमे भी मेरे पक्ष मे निर्णय होगा। जिस पर अपीलान्टस को शक हुआ। तब जाकर अपीलान्टस को इस तथ्य की जानकारी हुई है। जिस पर अपीलान्टस द्वारा न्यायालय जिला कलैक्टर अलवर मे आकर जानकारी की तो नकल हेतु दिनांक 12/01/2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो नकल तैयार होकर दिनांक 16/01/2023 को प्राप्त हुई व सनद पट्टा दिनांक 24/01/1992 की नकल हेतु दिनांक 25/01/2023 को आवेदन किया जिस पर दिनांक 27/01/2023 को नकल तैयार होकर प्राप्त हुई है। इस प्रकार खातेदारी दिनांक 20/01/1992 व खातेदारी का सनद पट्टा दिनांक 24/01/1992 व निर्णय दिनांक 16/05/2013 से दिनांक 10/01/2023 तक का समय जानकारी ना होने के कारण जानकारी के अभाव मे बेवजह लाईल्मी होने के कारण तथा जानकारी की दिनांक 11/01/2023 से आज तक का समय अन्दर अवधि होने के कारण जानकारी होने से मियाद में शुमार फरमाया जावे। जिस हेतु दफा 05 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अल्हदा से प्रस्तुत है।

विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 138 मिन रकबा 03 बिस्वा, 139 मिन रकबा 08 बिस्वा, 142 मिन रकबा 02 बीघा 19 बिस्वा जिसके सम्वत् 2020 मे आराजी खसरा नम्बर 230 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा, जिसके बन्दोबस्त सम्वत् 2051 मे आराजी हाल खसरा नम्बर 506 रकबा 0.89 हैक्टर वाके ग्राम बहादरपुर पट्टी कटला कायम हुए है। जिस विवादित आराजी से रेस्पोडेन्ट संख्या 02 रामजीलाल पुत्र बुद्धा व रेस्पोडेन्ट संख्या 03 साधूराम पुत्र बुद्धा का किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

व सरोकार ना तो है व नाही रहा है तथा ना ही इनका उपरोक्त विवादित आराजींयात पर कोई कब्जा काश्त है।

असल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 डालचन्द ने दिनांक 30/09/1991 को जो प्रार्थना पत्र खातेदारी लेने हेतु प्रस्तुत किया उसमे यह गलत रूप से दर्ज किया कि मै रामगोपाल का उक्त आराजी पर एकमात्र वारिसान काबिज काश्तकार हूँ, जबकि रामगोपाल के चार लडके गिरधारी लाल, पुरुषोत्तम, डालचन्द व मदनलाल है। जिनमे गिरधारी लाल व पुरुषोत्तम का स्वर्गवास हो चुका है। इस प्रकार असल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने गलत रूप से रामगोपाल का अकेले अपने आप को वारिस बताकर काबिज काश्तकार बताकर गलत रूप से धोखा व फरेब से खातेदारी प्राप्त की है, जबकि विवादित आराजी मे 1/4 हिस्सा गिरधारी लाल जिसके वारिस अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 05 कौशल्या व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 06 निर्मला देवी है तथा 1/4 हिस्से पर जो कि पुरुषोत्तम है जिसके वारिसान तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 07 लागायत 11 है तथा 1/4 हिस्से का काबिज खातेदार डालचन्द असल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 है तथा 1/4 हिस्से का मदनलाल तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 12 है और आज भी इसी कदर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। रामगोपाल का विरासत नामान्तरण भी गिरधारी लाल, पुरुषेत्तम, डालचन्द व मदनलाल के नाम ही दर्ज होकर स्वीकार किया गया है। इस प्रकार विवाहित आराजी से असल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 डालचन्द का अकेले का सालिम आराजी से किसी भी प्रकार से सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। इस प्रकार सभी का 1/4–1/4 हिस्से पर काबिज रहकर काश्त कर रहे है और तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर अलवर ने अकेले रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम खातेदारी दिनांक 20/01/1992 व खातेदारी का सनद पट्टा दिनांक 24/01/1992 व निर्णय दिनांक 16/05/2013 गलत प्रकार पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है और विवादित आराजी का 1/4–1/4 प्रत्येक के हक मे पारित करना चाहिये था, लेकिन अदालत मातहत से गौर नही हुआ। इस प्रकार अदालत मातहत का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 04/10/1991 मे यह दर्ज किया है कि मुताबिक रिकोर्ड गिरधारी लाल, पुरुषोत्तम, डालचन्द व मदनलाल पुत्रान रामगोपाल नकल पास बुक शामिल पत्रावली है, लेकिन अदालत मातहत ने इस पर गौर नही किया और सनद पट्टा जारी करने से पूर्व रामगोपाल के अन्य वारिसान को इस्तहार नोटिस जारी नहीं किये गये। इस प्रकार भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में गलत अंकन किया है कि डालचन्द को पट्टा दिये जाने मे तीनो भाईयो की पूरी सहमति है, जबकि किसी भी प्रकार की कोई सहमति अपीलान्टस व तरतीबी रेस्पोडेन्टस के पिताओ द्वारा नही दी गई है और ना ही ऐसी सहमति दिये जाने का कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है। रामगोपाल के जीवन काल में उसके चारो पुत्र गिरधारी लाल, पुरुषोत्तम, डालचन्द व मदनलाल उसके साथ साथ काश्त किया करते थे, जो जमाबन्दी सम्वत् 2013 से बखूबी साबित है तथा उसकी मृत्यु के उपरान्त चारो भाई गिरधारी लाल, पुरूषोत्तम, डालचन्द व मदनलाल काश्त करते थे तथा गिरधारी लाल व पुरूषोत्तम की मृत्यु के पश्चात् अब अपीलान्टस असल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 05 लागायत 12 विवादित आराजी पर काश्त कर रहे है।

उपरोक्त विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 506 रकबा 0.89 हैक्टर वाके ग्राम बहादरपुर पट्टी कटला पर अपीलान्टस के पिता गिरधारीलाल पुत्र रामगोपाल द्वारा बोरिंग की हुई है तथा जिस पर अपीलान्टस के पिता द्वारा विद्युत कनैक्शन लिया हुआ है। जिससे बखूबी साबित है कि उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 506 रकबा 0.89 हैक्टर वाके ग्राम बहादरपुर पट्टी कटला से अकेले असल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 डालचन्द का किसी भी प्रकार से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही रहा है व ना ही है, जबकि उक्त विवादित आराजी पर चारो भाई का कब्जा काश्त रहा है तथा अब उनके वारिसान का कब्जा काश्त है। चन्दरी बेवा बुद्धा ने एक दावा न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर मुकाम अलवर के न्यायालय मे बअनुवान चन्दरी बेवा बुद्धा बनाम सरकार जरिये कस्टोडियन रामगोपाल वगैरा के खिलाफ विवादित आराजी के साथ साथ अन्य आराजीयात की बाबत दायर किया, जो दावा वादीनी का प्रतिवादीगण के विरूद्ध विवादित आराजी व अन्य आराजीयात की बाबत

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर

दायर किया, जो वादीनी का दावा दिनांक 30/10/1969 को डिक्रि फरमा दिया गया और वादीनी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमा दिया गया। जिस डिक्रि के आधार पर नामान्तरण संख्या 26 दर्ज होकर स्वीकार किया गया। जिसका जमाबन्दी सम्वत् 2026 मे अमल दरामद किया गया।

एस.डी.ओ. अलवर के न्यायालय मे एक दावा गिरधारी लाल, पुरुषोत्तम, डालचन्द, मदनलाल बनाम चन्दरी बेवा बुद्धा, साधु पुत्र बुद्धा प्रतिवादीगण जिसका मुकदमा नम्बर 1/163 रजू दिनांक 04/10/1972 निर्णय दिनांक 11/02/1976 है। जिसमे दिनांक 30/10/1969 को प्राप्त की गई डिक्रि के आधार पर इंतकाल नम्बर 26 दिनांक 10/04/1970 को स्वीकार किया गया। उसे निरस्त माना जायेगा। जिसके आधार पर नामान्तरण संख्या 26 निरस्त कर दिया गया, क्योकि चन्दरी ने डिक्रि दिनांक 30/10/1969 के द्वारा स्वीकार इंतकाल संख्या 26 को निरस्त माना जायेगा। इस प्रकार विवादित आराजी से असल रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 का किसी भी प्रकार से कोई सम्बन्ध व सरोकार ना तो रहा है व ना ही है। विवादित आराजी मे अपीलान्ट व तरतीबी 05 व 06 का 1/4 हिस्सा, असल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का 1/4 हिस्सा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 07 लागायत 11 का 1/4 हिस्सा व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 12 का 1/4 हिस्सा है।

अतः अपील अपीलान्टस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमाई जाकर तहत अदालत तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर अलवर का निर्णय दिनांक 20/01/1992 व खातेदारी का सनद पट्टा दिनांक 24/01/1992 व निर्णय दिनांक 16/05/2013 निरस्त फरमाया जावे तथा आराजी खसरा नम्बर हाल 506 रकबा 0.89 हैक्टर वाके ग्राम बहादरपुर पट्टी कटला तहसील व जिला अलवर राज. का अपीलान्टस व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 05 व 06 को 1/4 हिस्से का, असल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को 1/4 हिस्से का, तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 07 लागायत 11 को 1/4 हिस्से का तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 12 को 1/4 हिस्से का खातेदारी का सनद पट्टा जारी किये जाने की आज्ञा सादिर फरमाई जावे व खर्चा मुकदमा असल रेस्पोडेन्टस से अपीलान्टस को दिलाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस में निवेदन किया है कि विवादित खसरा नम्बरान वाकै ग्राम बहादरपुर पट्टी कटला में स्थित है। अपीलान्ट द्वारा लगभग 32 वर्षो के पश्चात् तहसीदार कम मैनेजिंग आफिसर अलवर के निर्णय दिनांक 20.01.1992 की अपील न्यायालय श्रीमान् में प्रस्तुत की गई है। जो म्याद बाहर होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट को अपील में किसी प्रकार की कामयाबी की कोई उम्मीद किसी किस्म की नहीं रखनी चाहिये। विवादित आराजी से अपीलान्ट का किसी प्रकार का कोई ताल्लुक व सरोकार किसी किस्म का नहीं है और ना ही उक्त आराजी अपीलान्ट को रामगोपाल की विरासत से प्राप्त हुई है। रैस्पौडेन्ट नम्बर–1 ने तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर, अलवर से मिल्लत करके बाला–बाला अपने नाम से खातेदारी दिनांक 20.01.1992 को व खातेदारी की सनद दिनांक 24.01.1992 को व निर्णय दिनांक 16.05.2013 अपने पक्ष में पारित नहीं करवाया, बल्कि मुताबिक मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार सही तथ्यों के आधार पर रैस्पौडेन्ट नम्बर–1 को सन्द खातेदारी दिनांक 24.01.1992 जारी की है। बन्दोबस्त सम्वत् 2051 में आराजी हाल खसरा नम्बर–506 रकबा 0.89 हैक्टेयर वाकै ग्राम बहादरपुर पट्टी कायम हुए हैं। अपीलान्ट एवं रैस्पौडेन्ट नम्बर–2 नाग का विवादित आराजी से कोई ताल्लुक व सरोकार किसी किस्म का नहीं है बल्कि मिन रैस्पौ० नं० 1 डालचन्द उक्त आराजी पर लगभग 32 वर्ष से लगातार काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। मिन रैस्पौडेन्ट डालचन्द द्वारा खातेदारी प्राप्त करने के लिए सही तथ्यों के आधार पर तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर, अलवर को सन् 1991 में प्रस्तुत किया था। मिन रैस्पौडेन्ट डालचन्द ने कोई धोखा व फरेब करके कोई खातेदारी प्राप्त नहीं की बल्कि सही तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सनद् खातेदारी प्राप्त की। ना ही धोखाधड़ी का कोई मुकदमा डालचन्द के खिलाफ अपीलान्ट ने दर्ज कराया। पटवारी हल्का ने रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि मौके पर प्रार्थी डालचन्द काबिज है। तीन भाईयों की पट्टा दिये जाने में पूर्ण सहमति है। जिस आधार पर मिन रैस्पौडेन्ट को सनद् पट्टा जारी किया गया। मिन रैस्पौडेन्ट डालचन्द आरम्भ से उक्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है, जो वर्तमान में मिन प्रार्थी डालचन्द के कब्जे में है। दिनांक 11.01.2023 को रैस्पौडेन्ट डालचन्द आराजी पर नहीं आया बल्कि 32 वर्षो से

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। दिनांक 11.01.2023 अपीलान्ट द्वारा नुमाईशी अपील अन्दर म्याद दर्शाने के उद्देश्य से गलत दर्ज की है। अपीलान्ट से रैस्पौडेन्ट डालचन्द की कोई बातचीत दिनांक 11.01.2023 को नहीं हुई। तमाम तथ्य झूठे अंकित किये गये हैं। अपीलान्ट द्वारा खिलाफ कानून दो अलग अलग निर्णय दिनांक 20.01.1992 व 16.05.2013 के विरूद्ध एक अपील प्रस्तुत की गई है। जिस कारण भी अपील निरस्त फरमाये जाने योग्य है।

अपीलान्ट गोविन्द सहाय, मुरारी लाल, राजेन्द्र कुमार जो कि मेरे बडे भाई गिरधारी के पुत्र हैं जो मेरे भतिजे लगते हैं। पूर्व में इनके द्वारा रामजीलाल पुत्र बुद्धा को बहकाकर मिन रैस्पौडेन्ट डालचन्द के खिलाफ उक्त आदेश दिनांक 20.01.1992 की अपील जिलाधीश महोदय, अलवर के यहाँ पेश की थी। जो अपील निरस्त फरमादी गई थी। जिसकी अपील राजस्व अपील, अधिकारी, अलवर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। जो तहसीदार अलवर के पास रिमाण्ड की गई थी। जिस पर तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर, अलवर द्वारा पुनः दिनांक 16.05.2013 को मिन रैस्पौडेन्ट 16/5/2013 के डालचन्द का पट्टा बहाल रखा। जिस आदेश के विरूद्ध व पूर्व आ वाले आदेश दिनांक 20.01.1992 के विरूद्ध गलत तरीके से एक अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। जो म्याद बाहर होने के कारण भी निरस्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार कम मैनेजिंग आफिसर, अलवर के आदेश दिनांक 16.05.2013 की अपील रामजी लाल ने न्यायालय श्रीमान् में प्रस्तुत कर रखी है जो न्यायालय श्रीमान् में विचाराधीन है। अपीलान्ट को यह बखूबी जानकारी है कि उक्त आदेश के खिलाफ न्यायालय श्रीमान् में रामजीलाल द्वारा अपील विचाराधीन है परन्तु जानबूझकर अपीलान्ट ने ये झूठे तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की है जो निरस्त किये जांने योग्य है। मौजूदा रिकार्ड में मिन रैस्पौडेन्ट डालचन्द की खातेदारी चल रही है और मौके पर भी मिन रस्पौडेन्ट डालचन्द काबिज है। प्राईमाफेसी केस व बैलैन्स आफ कन्वीनैस मिन रैस्पौडेन्ट डालचन्द के पक्ष में है। इसलिए प्रार्थना पत्र अपीलान्ट निरस्त फरमाये जाने योग्य है।

विवादित आराजी से अपीलान्ट का किसी प्रकार का कोई ताल्लुक व सरोकार किसी किस्म का नहीं है और ना ही उक्त आराजी अपीलान्ट को रामगोपाल की विरासत से प्राप्त हुई है। रैस्पौडेन्ट नम्बर-1 ने तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर, अलवर से मिल्लत करके बाला-बाला अपने नाम से खातेदारी दिनांक 20.01.1992 को व खातेदारी की सनद दिनांक 24.01.1992 को व निर्णय दिनांक 16.05.2013 अपने पक्ष में पारित नहीं करवाया बल्कि मुताबिक मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार सही तथ्यों के आधार पर रैस्पौडेन्ट नम्बर-1 को सनद खातेदारी दिनांक 24. 01.1992 जारी की है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

सर्वप्रथम प्रकरण में प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी पर विचार किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र धारा 96 जा.दी. पर बहस के दौरान प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अपीलान्टस व तरतीबी रेस्पोडेन्ट एक ही परिवार व खानदान के व्यक्ति है, जो स्वर्गिय श्री रामगोपाल पुत्र शयोलाल के वंशज है। जिनके खानदान का सजरा अपील हाजा में दर्शाया गया है। अपीलान्ट असल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 05 लागायत 12 रामगोपाल के वंशज है, जो कि उपरोक्त सजरे से प्रमाणित है। विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 138 मिन रकबा 03 बिस्वा, 139 मिन रकबा 08 बिस्वा, 142 मिन रकबा 02 बीघा 19 बिस्वा जिसके सम्वत् 2020 मे आराजी खसरा नम्बर 230 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा, जिसके बन्दोबस्त सम्वत् 2051 मे आराजी हाल खसरा नम्बर 506 रकबा 0.89 हैक्टर वाके ग्राम बहादरपुर पट्टी कटला कायम हुए है, जो आराजी रामगोपाल की विरासत से प्राप्त हुई है। जिसमे अपीलान्टस, असल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 05 लागायत 12 का जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है। रामगोपाल के चार लडके गिरधारीलाल, पुरूषोत्तम, डालचन्द व मदनलाल है। जिनमे से गिरधारीलाल, पुरूषोत्तम का स्वर्गवास हो चुका है तथा डालचन्द व मदनलाल जीवित है। जिनमे से अपीलान्टस व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 05 व 06 गिरधारीलाल के वारिसान है, तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 07 लागायत 11 पुरुषोत्तम के वारिसान है, असल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 डालचन्द तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 12

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

मदनलाल है। इस प्रकार रामगोपाल के वंशज होने के कारण उपरोक्त विवादित आराजीयात मे अपीलान्टस व तरतीबी रैस्पोडेन्ट संख्या 05 व 06 गिरधारीलाल के वारिसान का 1/4 हिस्सा, तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 07 लागायत 11 पुरुषोत्तम के वारिसान का 1/4 हिस्सा, असल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 डालचन्द का 1/4 हिस्सा तथा तरतीबी रैस्पोडेन्ट संख्या 12 मदनलाल का 1/4 हिस्सा है। इस प्रकार रामगोपाल के सभी वंशज उपरोक्त विवादित आराजीयात पर अपने अपने हिस्से पर काबिज रहकर शामलात मे काबिज रहकर काश्त कर रहे है और विवादित आराजी मे बोरिंग किया हुआ है। जिसमे विद्युत कनैक्शन अपीलान्ट के पिता व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 05 व 06 के पिता गिरधारीलाल के नाम से है और इसी बोरिंग से उक्त विवादित आराजी व अन्य आराजीयात की आबपाशी होती है और रामगोपाल का विरासत नामान्तरण भी गिरधारीलाल, पुरुषोत्तम, डालचन्द व मदनलाल के नाम दर्ज होकर स्वीकृत हुआ है। असल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर अलवर से गिल्लत करके बाला बाला मे अपने नाम खातेदारी दिनांक 20/01/1992 व खातेदारी का सनद पट्टा दिनांक 24/01/1992 व निर्णय दिनांक 16/05/2013 पारित करवा लिया। इस प्रकार विवादित आराजी मे अपीलान्टस व तरतीबी रैस्पोडेन्ट संख्या 05 लागायत 12 कर हक व हिस्सा मारने की गर्ज से स्वयं के अकेले के नाम पर खातेदारी का सनद पट्टा जारी करवाया है। जिस कारण अपीलान्टस व तरतीबी रेस्पोडेन्टस खातेदारी दिनांक 20/01/1992 व खातेदारी का सनद पट्टा दिनांक 24/01/1992 व निर्णय दिनांक 16/05/2013 से व्यथित पक्षकार है। जिस कारण अपील प्रस्तुत करने की इजाजत हेतु प्रार्थना पत्र दफा 96 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर का निर्णय दिनांक 20/01/1992 व खातेदारी का सनद पट्टा दिनांक 24/01/1992 व निर्णय दिनांक 16/05/2013 से व्यथित पक्षकार होने के कारण अपीलान्टस को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जावे।

वकील रेस्पो0 द्वारा प्रा0पत्र धारा 96 जा.दी. का जवाब देते हुए बहस में कथन किया है कि विवादित आराजी से अपीलान्ट का किसी प्रकार का कोई ताल्लुक व सरोकार किसी किस्म का नहीं है और ना ही उक्त आराजी अपीलान्ट को रामगोपाल की विरासत से प्राप्त हुई है। रैस्पौडेन्ट नम्बर–1 ने तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर, अलवर से मिल्लत करके बाला–बाला अपने नाम से खातेदारी दिनांक 20.01.1992 को व खातेदारी की सन्द दिनांक 24.01.1992 को व निर्णय दिनांक 16.05.2013 अपने पक्ष में पारित नहीं करवाया। बल्कि मुताबिक मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार सही तथ्यों के आधार पर रैस्पौडेन्ट नम्बर–1 को सन्द खातेदारी दिनांक 24. 01.1992 जारी की है। अपीलान्ट द्वारा खिलाफ कानून दो अलग अलग निर्णय दिनांक 20.01.1992 व 16.05.2013 के विरुद्ध एक अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट गोविन्द सहाय, मुरारी लाल, राजेन्द्र कुमार जो कि मेरे बडे भाई गिरधारी के पुत्र हैं जो मेरे भतिजे लगते हैं। पूर्व में इनके द्वारा रामजी लाल पुत्र बुद्धा को बहकाकर मिन रैस्पौडेन्ट डालचन्द के खिलाफ उक्त आदेश दिनांक 20.01.1992 की अपील जिलाधीश महोदय, अलवर के यहाँ पेश की थी। जो अपील निरस्त फरमादी गई थी। जिसकी अपील राजस्व अपील, अधिकारी, अलवर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। जो तहसीदार अलवर के पास रिमाण्ड की गई थी। जिस पर तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर, अलवर द्वारा पुनः दिनांक 16.05.2013 को मिन रैस्पौडेन्ट डालचन्द का पट्टा बहाल रखा। जिस 16.05.2013 के आदेश के विरूद्ध व पूर्व वाले आदेश दिनांक 20.01.1992 के विरूद्ध गलत तरीके से अपीलान्ट द्वारा यह एक अपील प्रस्तुत की गई है। तहसीलदार कम मैनेजिंग आफिसर, अलवर के आदेश लचे दिनांक 16.05.2013 की अपील रामजी लाल ने न्यायालय श्रीमान् में प्रस्तुत कर रखी है जो न्यायालय श्रीमान् में विचाराधीन है। अपीलान्ट को यह बखूबी जानकारी है कि उक्त आदेश के खिलाफ न्यायालय श्रीमान् में रामजी लाल द्वारा अपील विचाराधीन है परन्तु जानबूझकर अपीलान्ट ने ये झूठे तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। मौजूदा रिकार्ड में मिन रैस्पौडेन्ट डालचन्द की खातेदारी चल रही है और मौके पर भी मिन रस्पौडेन्ट डालचन्द काबिज है। अपीलान्ट ने कोई युक्ति युक्त कारण अपने

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम)
अलवर (राज0)

प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है जिस कारण उसे अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दी जा सके। अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

हमने प्रार्थना पत्र धारा 96 पर उभयपक्षों की बहस पर चिन्तन मनन किया एवं पत्रावली का भी अवलोकन किया। प्रस्तुत तर्कों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण ने स्वयं को मूल खातेदार रामगोपाल के पुत्र गिरधारीलाल का वंशज बताया है और इस समर्थन में वंशावली व अन्य तथ्यों का हवाला दिया है। यदि विवादित संपत्ति पैतृक है, तो कानूनन सभी वारिसों का उसमें निहित हित होता है। धारा 96 सी.पी.सी. के तहत कोई भी ऐसा व्यक्ति अपील करने की अनुमति मांग सकता है जो वाद में पक्षकार न होते हुए भी उस निर्णय से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा हो। प्रार्थीगण का यह कथन कि बिना उन्हें सुने या पक्षकार बनाए, पूरी जमीन की खातेदारी रेस्पोंडेंट नं. 01 के नाम कर दी गई, प्रथम दृष्टया उन्हें 'व्यथित पक्षकार' की श्रेणी में लाता है। जहाँ तक विपक्षी का तर्क है कि रामजीलाल की अपील विचाराधीन है, यह तथ्य प्रार्थीगण को अपने स्वतंत्र अधिकारों के लिए अपील करने से वर्जित नहीं करता, क्योंकि प्रार्थीगण अपनी विरासत के अधिकार का दावा कर रहे हैं। न्याय के सिद्धांतों को देखते हुए, यदि किसी वारिस के संपत्ति के अधिकार का हनन हुआ है, तो उसे गुण–दोष पर सुने जाने का अधिकार है। अतः, न्यायहित में प्रार्थी/अपीलार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जाती है।

अपीलार्थी ने धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि उक्त नामांतकरण अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में बालाबाला तस्दीक हुआ, जिसकी जानकारी उन्हें दिनांक 10.01.2023 को नकल प्राप्त करने पर हुई। न्याय हित में देरी को क्षमा किया जाना उचित प्रतीत होता है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रुख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विवादित भूमि मूल रूप से श्री रामगोपाल पुत्र शयोलाल की पैतृक संपत्ति है। रामगोपाल के चार पुत्र थे गिरधारी लाल, पुरुषोत्तम, डालचन्द और मदनलाल हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम और राजस्व विधियों के अनुसार, रामगोपाल की मृत्यु के पश्चात उनकी संपत्ति पर चारों पुत्रों का समान (1/4 प्रत्येक) अधिकार है। अपीलार्थीगण का आरोप है कि रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 डालचन्द ने तथ्यों को छिपाकर और यह गलत बयान देकर कि वह एकमात्र वारिस और काबिज है, तहसीलदार से अपने पक्ष में दिनांक 20.01.1992 को एकपक्षीय आदेश पारित करवा लिया। अपीलार्थीगण या अन्य सह–खातेदारों को न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही उनकी सहमति ली गई। पटवारी की रिपोर्ट में वर्णित "भाइयों की सहमति" का कोई लिखित या पंजीकृत आधार पत्रावली पर नहीं है। चूंकि संपत्ति पैतृक है और कभी भी विधिवत विभाजन नहीं हुआ, इसलिए अकेले डालचन्द के नाम पट्टा जारी करना अवैध है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 ने तर्क दिया कि अपील 32 वर्षों के अत्यधिक विलंब से प्रस्तुत की गई है और काल–बाधित है। डालचन्द पिछले 32 वर्षों से विवादित भूमि पर निरंतर काबिज और काश्तकार है। वर्ष 1991 में पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर, जिसमें भाइयों की सहमति का उल्लेख था, सही तरीके से पट्टा जारी किया गया था। पूर्व में रामजीलाल द्वारा की गई अपीलें भी निरस्त हो चुकी हैं, अतः वर्तमान अपील खारिज की जाए।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उभय पक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन–मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, जमाबंदी संवत 2013 और प्रस्तुत सजरे (वंशावली) से यह निर्विवाद है कि मूल काश्तकार रामगोपाल थे। रामगोपाल की मृत्यु उपरांत उनके चार पुत्र गिरधारी लाल, पुरुषोत्तम, डालचन्द और मदनलाल उनके विधिक वारिस हुए। हिन्दू विधि और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत, पैतृक संपत्ति में पिता की मृत्यु होते ही सभी पुत्रों का अधिकार उद्भूत हो जाता है। किसी एक सह–खातेदार का कब्जा, सभी सह–खातेदारों की ओर से माना जाता है, जब तक कि स्पष्ट रूप से विभाजन या हक–त्याग सिद्ध न हो। अधीनस्थ

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

न्यायालय के आदेश दिनांक 20.01.1992 और पटवारी की रिपोर्ट में "भाइयों की सहमति" का उल्लेख है, परन्तु संपत्ति अंतरण अधिनियम और रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, 100 रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति का हक–त्याग केवल 'पंजीकृत विलेख' द्वारा ही संभव है। मौखिक सहमति या पटवारी के समक्ष दिए गए बयान से किसी सह–खातेदार का स्वामित्व समाप्त नहीं होता। पत्रावली पर ऐसा कोई पंजीकृत दस्तावेज नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि गिरधारी लाल, पुरुषोत्तम या मदनलाल ने अपना हिस्सा डालचन्द के पक्ष में त्यागा हो। अतः तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर द्वारा बिना अन्य विधिक वारिसान को नोटिस दिए और बिना पंजीकृत हक–त्याग विलेख के, मात्र कब्जा या मौखिक सहमति के आधार पर अकेले डालचन्द के नाम पूर्ण खातेदारी अधिकार देना नैसर्गिक न्याय और विधिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन है। निर्णय दिनांक 16.05.2013 में भी इन विधिक पहलुओं की अनदेखी की गई है। विवादित भूमि रामगोपाल की पैतृक संपत्ति है। अतः उनके चारों पुत्रों का इसमें समान रूप से 1/4 – 1/4 हिस्सा है। डालचन्द द्वारा प्राप्त एकपक्षीय पट्टा अन्य सह–खातेदारों के अधिकारों का हनन करता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर, अलवर के निर्णय दिनांक 20.01.1992, जिसके अनुसरण में जारी सनद पट्टा दिनांक 24.01.1992 एवं रिमाण्ड पश्चात पारित निर्णय दिनांक 16.05.2013 निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर, अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर, अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.01.1992, तदनुसार जारी सनद पट्टा दिनांक 24.01.1992 तथा निर्णय दिनांक 16.05.2013, निरस्त किए जाते हैं। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)